HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 3182/2025

Tariq Khan S/o Ismail Khan, R/o Village Badarpur Police Staion Nagina, District Nuh, Haryana (At Present Confined in Central Jail, Jaipur)

----Appellant

Versus

1. The State of Rajasthan, Through The Public Prosecutor
2. Victim

----Respondents

For Appellant(s)	:	Mr. M.C. Jain, Adv. Mr. Ankit Jain, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Rajesh Choudhary, GA cum AAG Mr. Manvendra Singh, PP Mr. Kuldeep Sharma, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI
Order

26/02/2026

अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से धारा 14–ए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत यह जमानत अपील विचारण न्यायालय, विशिष्ट न्यायालय, अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण, (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम–2) जयपुर महानगर–द्वितीय द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 250/2025 में पारित आदेश दिनांक 26.09.2025 से व्यथित होकर पेश की गई है, जिसके तहत पुलिस थाना आमेर, जयपुर शहर (उत्तर) में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 261/2025 अंतर्गत धारा 64(1), 308(5), 351(3) भारतीय न्याय संहिता में अपीलार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता खारिज किया गया।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी/अभियुक्त का बहस के दौरान तर्क रहा है कि अपीलार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसे प्रकरण में मिथ्या रूप से लिप्त किया गया है, पीड़िता 19 वर्षीय है और अपीलार्थी/अभियुक्त 32 वर्ष का है, दोनों वयस्क हैं। यद्यपि अपीलार्थी/अभियुक्त पर बलात्कार का आरोप सिद्ध नही हुआ है, फिर भी यदि उनके मध्य संबंध बने भी हैं, तो आपसी सहमति से बने हैं। घटना की रिपोर्ट में घटना दिनांक 02.03.2025 की होना बताया गया है, जबकि घटना की रिपोर्ट दिनांक 22.08.2025 को करीब 5 माह के विलम्ब से दर्ज करवायी गयी है। पीड़िता ने धारा 180 बी.एन.एस.एस. के बयान में दिनांक 02.03.2025 को घटना घटित होना बताया है और अपने तितम्बा बयान में दिनांक 22.03.2025 व दिनांक 24.03.2025 को दो दिन अपीलार्थी/अभियुक्त के द्वारा घटना कारित किया जाना बताया है। इस प्रकार पीड़िता के धारा 180 बी.एन.एस.एस. के बयान व तितम्बा बयान में घटना कारित होने की दिनांक में अंतर है। चिकित्सकीय रिपोर्ट में पीड़िता के साथ बलात्कार हुआ हो, ऐसी कोई रिपोर्ट नही आयी है। डी.एन.ए. रिपोर्ट से भी अपीलार्थी/अभियुक्त पर आरोप साबित नही हुआ है। आपसी सहमति के संबंधों को बलात्कार का रूप देकर झूठी रिपोर्ट दर्ज करवायी गयी है। अपीलार्थी/अभियुक्त दिनांक 29.08.2025 से अभिरक्षा में है, उसके विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है, विचारण में समय लगेगा। अतः अपीलार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जावे।

परिवादी के विद्वान अभिभाषक व विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि साक्षीगण के धारा 180 बी.एन.एस.एस. के बयानों में यह तथ्य आया है कि पीड़िता के अध्ययनरत रहने के कारण देरी से घटना की रिपोर्ट दर्ज करवायी गयी है। पीड़िता ने अपने बयानों में यह भी बताया है कि अपीलार्थी/अभियुक्त ने इनाया नाम की लड़की की आई.डी. देकर उस पर

होटल में इनाया खान नाम बताने के लिए दबाव डाला। अपीलार्थी/अभियुक्त के कब्जे से मोबाईल बरामद हुआ है, जिसमें उसके द्वारा अश्लील वीड़ियो डिलीट किया जाना बताया है। उक्त डिलीट किये गये वीड़ियो को उसके मोबाईल से लेकर एफ.एस.एल. से उनका परीक्षण कराये जाने पर पीड़िता के अश्लील वीड़ियो पाये गये हैं। अपीलार्थी/अभियुक्त ने पीड़िता की इच्छा और सहमति के बिना बलात्कार किया है। अतः अपीलार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी/अभियुक्त की जमानत अपील खारिज की जावे।

मैंने दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण में घटना की रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता ने अपीलार्थी/अभियुक्त के द्वारा उसे होटल में ले जाकर उसके साथ उसकी सहमति के बिना बलात्कार किया जाना और उसके द्वारा पीड़िता के नग्न अवस्था में फोटो और वीड़ियो बनाया जाना बताया है। इन तथ्यों को पीड़िता ने अपने धारा 180 व 183 बी.एन.एस.एस. के बयान व तितम्बा बयानों में भी बताया है। पीड़िता ने अपने चिकित्सकीय परीक्षण के दौरान भी यह तथ्य कहे हैं। न्यायालय के समक्ष पीड़िता के धारा 183 बी.एन.एस.एस. के बयान हुए हैं, उन बयानों में भी पीड़िता ने उसकी इच्छा और सहमति के बिना अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया जाना बताया है। एफ.एस.एल. रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी/अभियुक्त के मोबाईल फोन से डिलीट किये गये अश्लील पिक्चर और वीड़ियो समान महिला के होना बताया गया है।

घटना की रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने का, पीड़िता द्वारा घटना की विभिन्न तारीख बताने का, मेडिकल परीक्षण में उसके शरीर पर कोई चोट नही

आने व डी.एन.ए. रिपोर्ट की समानता नही आने का प्रकरण पर क्या प्रभाव होगा, इन समस्त तथ्यों का अवधारण इस स्तर पर नही किया जा सकता है। उक्त तथ्यों का अवधारण गुणावगुण पर विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य के पश्चात किया जा सकता है। अपीलार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है, पीड़िता के बयान न्यायालय के समक्ष लेखबद्ध होना शेष है।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत किये गये तर्कों तथा अपीलार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना अपीलार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः अपीलार्थी/अभियुक्त **तारीक खान पुत्र इस्माईल खान** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती है।

चूंकि अपीलार्थी/अभियुक्त लंबे समय से अभिरक्षा में चल रहा है, ऐसे में विद्वान विचारण न्यायालय से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रकरण में पीड़िता के बयान प्राथमिकता से लेखबद्ध करने का प्रयास करें।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

MANISH SAINI /109